भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1087

05 दिसंबर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

गैर-संचारी रोगों से होने वाली मौतें

†1087. श्री टी. एम. सेल्वागणपतिः
श्रीमती कनिमोझी करुणानिधिः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि भारत गैर-संचारी रोगों का केंद्र बन गया है क्योंकि देश में हृदय संबंधी रोग, कैंसर, मधुमेह और असाध्य श्वसन रोगों जैसे गैर-संचारी रोगों में चिंताजनक वृद्धि देखी जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या

(ख) क्या यह भी सच है कि देश में होने वाली 63 प्रतिशत मृत्यु उपर्युक्त गैर-संचारी रोगों के कारण होती हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या यह भी सच है कि यदि सरकार समय रहते निर्णायक कदम नहीं उठाती है तो ऐसे मामलों में वृद्धि जारी रहने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(घ) क्या यह भी सच है कि देश के युवाओं में गैर-संचारी बीमारियों में चिंताजनक बढ़ोतरी देखी गई है और इन बीमारियों का बोझ सिर्फ़ एक दशक में काफी तेज़ी से बढ़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) देश में गैर-संचारी रोगों को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) की वर्ष 2017 में प्रकाशित रिपोर्ट "इंडिया: हेल्थ ऑफ दी नेशन्स स्टेट्स " के अनुसार, भारत में गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के कारण होने वाली मौतों का अनुपात कुल मौतों का 61.8% है। इनमें से, 28.1% हृदय रोगों, 8.3% कैंसर, 10.9% पुरानी श्वसन संबंधी बीमारियों और 6.5% मधुमेह, मूत्रजननी, रक्त और अंतःस्रावी ग्रंथि संबंधी रोगों के कारण थी।

(ग) से (ङ): गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) से जुड़े कई जोखिम कारक हैं, जिनमें तंबाकू और शराब का सेवन, कम शारीरिक गतिविधि, अस्वास्थ्यकर आहार, मोटापे में वृद्धि, उच्च नमक, चीनी और संतृप्त वसा का सेवन, तनाव, निष्क्रिय जीवनशैली आदि शामिल हैं।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के निवारक पहलू को सुदृढ़ किया गया है। इसके अतिरिक्त, एनपी-एनसीडी एनएचएम के अंतर्गत सामान्य एनसीडी हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के अनुसार संचालित जागरूकता सृजन (आईईसी) गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के एक भाग के रूप में देश में सामान्य गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुहं के कैंसर, स्तन कैंसर और गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की रोकथाम, नियंत्रण और स्क्रीनिंग के लिए एक जनसंख्या-आधारित पहल शुरु की गई है। इस पहल के तहत, 30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को स्क्रीनिंग के लिए लक्षित किया गया है।

भारत का खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण स्वस्थ खाने की आदतों को बढ़ावा देने के लिए अभियान चलाता है। फिट इंडिया और खेलो इंडिया अभियानों को युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है, और विभिन्न योग संबंधी गतिविधियाँ आयुष मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत राष्ट्रीय गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) के अंतर्गत पूरे देश के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह कार्यक्रम राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की आवश्यकता और प्रस्ताव के अनुसार गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के लिए अवसंरचना, मानव संसाधन विकास, स्क्रीनिंग, प्रारंभिक निदान, रेफरल, उपचार और स्वास्थ्य संवर्धन को सुदृढ़ करने पर केंद्रित है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, जिला अस्पताल स्तर पर कैंसर देखभाल की सुलभता सुनिश्चित करने के लिए 297 जिला डे केयर कैंसर केंद्र (डीसीसीसी) को अनुमोदित किया गया है।

इसके अलावा, 'तृतीयक देखभाल कैंसर सुविधाओं को सुदृढ़ करने की योजना' के तहत देश भर में 19 राज्य कैंसर संस्थान (एससीआई) और 20 तृतीयक देखभाल कैंसर केंद्र (टीसीसीसी) स्थापित किए गए हैं। उन्नत निदान और उपचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए झज्जर (हरियाणा) में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान और कोलकाता में चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का दूसरा परिसर स्थापित किया गया है। सभी 22 नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों (एम्स) में भी कैंसर उपचार सुविधाओं को मंजूरी दी गई है।

प्रमुख गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) का उपचार आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएमजेएवाई) के अंतर्गत उपलब्ध है। यह योजना द्वितीयक और तृतीयक देखभाल के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये प्रदान करती है।

एनएचएम की मुफ्त दवा सेवा पहल के तहत, गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के लिए आवश्यक दवाएं नि:शुल्क प्रदान की जाती हैं। 'प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजे)' के अंतर्गत सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं किफायती दामों पर उपलब्ध कराई जाती हैं। 'सस्ती दवाएं और विश्वसनीय प्रतिरोपण उपचार (अमृत)' के अंतर्गत एनसीडी समेत विभिन्न रोगों के उपचार के लिए किफायती दवाएं प्रदान करता है।

*****